Annexure - IV

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492 099

क्रमांक /1190/ मुख्यालय / छ.ग.प.सं.मं. / 2015 रायपुर, दिनांक 19/6/2015

## --:: कार्यालय आदेश::--

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा Ease of Doing Business के अंतर्गत् आवेदन पत्रों का सरलीकरण, स्वीकृति/अनुमोदन हेतु वांछित प्रक्रियाओं का सरलीकरण, प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा का निर्धारण आदि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन होने की तिथि से 04 माह की अवधि में प्रकरण पर निर्णय लिया जाना होता है। Ease of Doing Business के तहत् उक्त समयसीमा 04 माह के स्थान पर 02 माह किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार उद्योगों के स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण प्रकरणों का निपटारा आवेदन पूर्ण होने की तिथि से 02 माह की अवधि में अनिवार्य रूप से किया जावे। उक्त आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जावें।

**सदस्य सचिव**
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

O/C

पृ.क्र./191/ /मुख्यालय/छ.ग.प.सं.मं./2015 रायपुर, दिनांक 19/6/2015

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/बिलासपुर/भिलाई–दुर्ग/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

**सदस्य सचिव**
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

O/C